मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 2016 (फाल्गुन 13, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 एवं 23) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 149 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

(श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा सिवनी जिले में खनिज खदानों की लीज स्वीकृति संबंधी प्रश्न संख्या 20 (*क्रमांक 3891) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली के ग्राम भायेल में स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,
(2) श्री दिनेश राय, सदस्य ने सिवनी जिले में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था ठीक न होने,
(3) श्री लखन पटेल, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र पथरिया में पेयजल संकट हेतु बंद पड़े जल स्त्रोतों को चालू करने,
(4) श्री नारायण पंवार, सदस्य ने ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र के सुठालिया नगर में पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन में स्थानांतरण न होने,
(5) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य ने पोहरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल संकट होने,
(6) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने सीहोर के ग्राम खेरी के पहुंच मार्ग का घटिया निर्माण होने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के खैरकछा ग्राम में अभयारण्य के लिये ली गई भूमि का मुआवजा न मिलने,
(8) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य ने छतरपुर शहर में बायपास मार्ग न बनने से दुर्घटनाएं होने तथा
(9) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य ने कुक्षी क्षेत्र में विद्युत कटौती होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) दिव्यांग लोगों के अनिश्चितकालीन धरने एवं आमरण अनशन करना

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – दिव्यांग लोग धरने पर बैठे है उन्होंने आमरण अनशन किया है. इसके पूर्व भी यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष महोदय ने बुलाकर व्यवस्था करवाई है. वे अपनी पेंशन एवं दूसरी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने, आमरण अनशन पर बैठे हैं. आप मेरे ध्यानाकर्षण पर चर्चा करा ले या तो उनकी मांगों पर मदद करा दें. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार करने हेतु आश्वस्त किया गया.

(2) जबलपुर में सिलेण्डर फटने से हृदय-विदारक घटना होना

श्री तरूण भनोत, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया कि – गत 26 फरवरी, 2016 को जबलपुर में एक हृदय-विदारक घटना घटी है. एक घर में पूजन का कार्य चल रहा था तब 3 सिलेण्डर फटे, जिसमें करीब 15 लोग घायल हुए थे और उसमें से कल 5 महिलाओं की मृत्यु हो गई है. बाकी बचे गंभीर मरीजों में से 5 की स्थिति चिंताजनक है. उनको तत्काल बेहतर अस्पताल में शिफ्ट करा कर समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जाये.

(3) प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दबाव के चलते बच्चों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया गया कि – प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं चल रही है इन परीक्षाओं के चलते बच्चों पर इतना दबाव है कि आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है. ये बहुत ही संवेदनशील मामला है. छोटे बच्चों की जिन्दगी और भविष्य का सवाल है. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय को ध्यानाकर्षण में लेने संबंधी जानकारी दी गई.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 57 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(3) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

6. ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य ने मण्डला जिले के ग्राम घोटा में निजी भूमि पर कन्या छात्रावास का निर्माण किये जाने की ओर राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया.

श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने रीवा शहर में प्रदूषित पेयजल प्रदाय की ओर राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 132-घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सज्जन सिंह उइके को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – (6, 11, 13, 19, 21, 50, 57)	श्री दुर्गालाल विजय, कुंवर विक्रम सिंह, श्री सुदेश राय, श्री दिव्यराज सिंह, श्रीमती शकुन्तला खटीक, सर्वश्री रामेश्वर शर्मा, यशपाल सिंह सिसोदिया	1 घण्टा 15 मिनिट
2.	क्रमांक – 23, 31, 59, 24)	सर्वश्री रामनिवास रावत, शैलेन्द्र पटेल, श्रीमती ममता मीना	1 घण्टा 15 मिनिट

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के दशम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की गई :-

(1) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(2) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(3) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(4) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(5) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(6) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(7) कुँवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(8) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(9) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(10) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(11) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(12) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(13) श्री राम निवास रावत (जिला-श्योपुर)
(14) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(15) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोक नगर)
(16) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(17) श्रीमती उषा चौधरी (जिला-सतना)
(18) श्री घनश्याम पिरौनियां (जिला-दतिया)
(19) श्री आशीष शर्मा (जिला-देवास)
(20) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(21) श्री सुन्दर लाल तिवारी (जिला-रीवा)
(22) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(23) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(24) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(25) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(26) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(27) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(28) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मन्दसौर)
(29) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(30) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

10. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री महोदय से संबंधित विभागों की अनुदान मांगें परम्परानुसार एकजाई रुप से प्रस्तुत की जाएंगी तथा चर्चा के पश्चात् संबंधित अधिकृत राज्य मंत्रियों द्वारा जवाब दिया जाएगा.

(1) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन के लिए चार सौ पांच करोड़, सैंतालीस लाख, इकतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए चौवन करोड़, तीस लाख, सोलह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 26	संस्कृति के लिए एक सौ चौहत्तर करोड़, बहत्तर लाख, संतानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 37	पर्यटन के लिए दो सौ छियालीस करोड़, छप्पन लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए एक हजार पांच सौ सतहत्तर करोड़, अठासी लाख, नवासी हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए बाईस करोड़, सत्ताईस लाख, चौरासी हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा होगी.

11. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रति एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराने विषयक

श्री रामनिवास रावत सदस्य द्वारा औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह कहा कि कटौती प्रस्ताव और मांगों पर चर्चा प्रारंभ हो चुकी है. कौल-शकधर की जो पुस्तक है उसमें पेज 855 पर स्पष्ट दिया हुआ है. "मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और कार्य निष्पादन परिणामी बजटों का परिचालन, बजट चर्चा के संबंध में मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं इन प्रतिवेदनों में चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय के कार्य निष्पादन के संबंध में आवश्यक जानकारी और उसके कार्यकरण की पृष्ठभूमि तथा अगले वित्तीय वर्ष का कार्यक्रम भी दिया जाता है."

मूलत: इससे ही सदस्यों को जानकारी मिलती है और चर्चा कराई जाती है. पैरा दो में स्पष्ट दिया है कि "वार्षिक प्रतिवेदन सामान्यत: बजट पेश किए जाने के बाद परन्तु मंत्रालय विशेष से संबंधित मांगों पर सभा में चर्चा होने से पहले सदस्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं. विभागों से संबंधित स्थायी समिति प्रणाली की शुरुआत होने से इन समितियों को भी अनुदान की मांगों पर विचार करने के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों और कार्य निष्पादन प्रणामी बजटों की प्रतियां उपलब्ध करा दी जाती हैं." परन्तु आज चर्चा हेतु नियत कतिपय विभागों के प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं हुए हैं.

12. संसदीय कार्य मंत्री के कथन के विरोध में श्री रामनिवास रावत सदस्य के साथ इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के श्री रामनिवास रावत एवं अन्य सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्री के कथन के विरोध में गर्भगृह में आये आए. एवं व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 12.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 12.36 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

13. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था के प्रश्न के प्रति उत्तर में कहा कि इस बात में आंशिक सच्चाई है कि एक प्रतिवेदन में थोड़ा विलम्ब हुआ है. उसका कारण सिर्फ इतना सा है जो क्रम विधान सभा निर्धारित करती है कल तक के बाद क्रम में कुछ बदलाव आ गया, तो स्वाभाविकरूप से यहां जो कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सुनाया गया था उस क्रम से पहले आ गया. फिर भी सम्माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए हर हाल में यह कोशिश होगी कि हम 24 घण्टे पहले प्रतिवेदन पहुंचाएं. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा भी संसदीय कार्य मंत्री के कथन से सहमति व्यक्त की.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - श्री रामनिवास रावत ने औचित्य प्रश्न के माध्यम से जो विषय उठाया है और श्री अजय सिंह ने उसके समर्थन में अपनी बात कही है, हमारे सचिवालय से यह प्रतिवेदन बांट दिए गए हैं, किन्तु माननीय मंत्रीद्वय, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री और श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने भी अपनी बात रखी और यह कहा कि देर हुई है, दोनों ने स्वीकार भी किया है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं किन्तु कौल एवं शकधर का आपने कोट किया है, मैं भी कोट करता हूं, आप कृपया इसको देखें, पृष्ठ 855 मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और कार्य निष्पादन परिणामी बजटों का परिचालन, वार्षिक प्रतिवेदन सामान्यत: बजट पेश किए जाने के बाद परन्तु मंत्रालय विषय से संबंधित मांगों पर सभा में चर्चा होने से (पहले आप पूरा सुन लें, इसमें समय सीमा नहीं दी है,) समय से पहले सदस्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं, विभाग से संबद्ध स्थायी समिति प्रणाली की शुरूआत होने से इन समितियों को भी अनुदान की मांगों पर विचार के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों और कार्य निष्पादन प्रणाली विधेयकों की प्रति उपलब्ध कराएं जो संसदीय समितियों के बारे में है. मंत्रियों को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि सामान्य चर्चा प्रारम्भ होने से पहले ही समस्त प्रतिवेदन समस्त सदस्यों को उपलब्ध करा दिए गए हों, 2 बार पेज 855 पर पहले ही आया है. समय सीमा नहीं लिखी, जो समय सीमा आपने पढ़ी है, वह प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में बना था, उस प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह रिपोर्ट दी थी जिसको आप कौल एवं शकधर की कामेंट्री कहकर, जिसको आप कोट कर रहे हैं, वह कौल एवं शकधर की कामेंट्री नहीं है, वह कौल एवं शकधर की सूचना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह रिपोर्ट दी थी कि 7 दिन पहले प्रस्तुत हो जाना चाहिए. यह रिपोर्ट का अंश है. यह व्यवस्था नहीं है. फिर भी आपने जो पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है, मैं उससे सहमत हूँ.

मैं माननीय मंत्रीगणों को भी निर्देशित करता हूं कि इस चर्चा के प्रारम्भ होने के कम से कम 2 दिन पूर्व विभागीय प्रतिवेदन उपलब्ध करवायें. किन्तु माननीय सदस्य श्री रामनिवास रावत ने सचिवालय की तुलना और सचिवालय पर सीधा आक्षेप लगाया है. यह अत्यन्त खराब बात है. मध्यप्रदेश विधान सभा के सचिवालय पर, इस तरह के आक्षेप भारतवर्ष के संसदीय इतिहास में कभी नहीं लगे. मेरा अनुरोध है कि व्यंग्य या कोई बात करना है तो सत्ता पक्ष से करें, विधान सभा सचिवालय से न करें तो उचित होगा. सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया. तत्पश्चात् श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा आसंदी के माध्यम से कहा कि मैंने विधान सभा सचिवालय पर आरोप नहीं लगाया है. मैंने नियमों को कोट करते हुए, आपने जो पढ़ा वह सही है. फिर भी, यदि ऐसा लगता है तो मैं इसे वापिस लेता हूं.

14. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री जितू पटवारी

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि सामान्य प्रशासन एवं विभागीय मांगों पर चर्चा हेतु 2 घण्टे का समय नियत है. जिसमें कांग्रेस पक्ष हेतु 28 मिनट, भारती जनता पार्टी हेतु 1 घण्टा 26 मिनट, बहुजन समाज पार्टी हेतु 4 मिनट एवं निर्दलीय सदस्य हेतु 2 मिनट नियत किये गये है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सहयोग करें.

15. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री जितू पटवारी, सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

(अपराह्न 1.05 से 2.37 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

16. अध्यक्षीय व्यवस्था
अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे कतिपय लोगों द्वारा ताली बजाना एवं नारे लगाने पर कार्रवाई विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि भोजनावकाश के पूर्व जब व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा चल रही थी तब अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे हुए कुछ लोग जोर-जोर से तालियां बजा रहे थे एवं नारे भी लगा रहे थे यह बहुत ही चिन्ता का विषय है आपकी कोई व्यवस्था आ जाये कि जिस विधायक की अनुशंसा पर प्रवेश पत्र बनाये जाते है और इस परिसर में किसी भी तरह की ऐसी बातें या घटना होती है तो उसको रोकने की व्यवस्था की जाये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि मैं इसकी जानकारी ले लूंगा. बात गंभीर है. माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि पूरी जानकारी लेकर ही पास जारी करें. ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो.

17. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(2) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(3) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(4) श्री गिरीश भंडारी
(5) श्री दुर्गालाल विजय
(6) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(7) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(8) कुंवर सौरभ सिंह
(9) श्री देवेन्द्र वर्मा
(10) डॉ. गोविन्द सिंह
(11) श्री दिलीप सिंह परिहार

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(12) कुंवर विक्रम सिंह
(13) श्रीमती रंजना बघेल
(14) श्रीमती शीला त्यागी
(15) सुश्री ऊषा ठाकुर
(16) श्री सुदर्शन गुप्ता
(17) डॉ. रामकिशोर दोगने
(18) श्री के.के. श्रीवास्तव

18. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 7 के उप पद 1 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

19. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(19) श्री बहादुर सिंह चौहान
(20) श्रीमती ऊषा चौधरी
(21) श्री मानवेन्द्र सिंह
(22) श्री दिनेश राय
(23) श्री कमलेश्वर पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(24) श्री जालम सिंह पटेल
(25) श्री प्रदीप अग्रवाल
(26) श्री हरदीप सिंह डंग
(27) श्री दिव्यराज सिंह
(28) श्रीमती झूमा सोलंकी

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन एवं श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री संस्कृति एवं पर्यटन ने अपने-अपने विभागों की चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20. बधाई

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और अनुदान की मांगें, लगातार 3 विषयों पर उत्तर दिये और तनावरहित रहे. इसके लिये उनको बधाई व साधुवाद दिया.

सायं 6.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2016 (14 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 3 मार्च, 2016